

Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

Public Relations Office

Constitution Day Celebration

Newspaper: Amar Ujala

Date: 27-11-2021

संविधान की आत्मा है उद्देशिका : कुलपति

बोले- भारतीय संविधान दूरगामी सोच से किया गया है तैयार, कर्तव्यों को प्रचारिक करने की शपथ ली

संवाद न्यूज एजेंसी

महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 72वें संविधान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने संविधान की उद्देशिका को इसकी आत्मा बताया और विद्यार्थियों सहित सभी सहभागियों को संविधान में प्रदान अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए विशेष रूप से विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों में संविधान की उद्देशिका के साथ-साथ कर्तव्यों को प्रचारित प्रसारित करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए आम नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए।

कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुई। विश्वविद्यालय के प्रो. मूलचंद सभागार में संसद भवन से प्रसारित कार्यक्रम कुलपति सहित विश्वविद्यालय समुदाय ने देखा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ संविधान की उद्देशिका का पाठ किया। कुलपति ने कहा कि



हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार। संवाद

भारतीय संविधान बेहद परिश्रम व दूरगामी सोच के साथ तैयार किया गया है। राष्ट्र व समाज के प्रति उनके कर्तव्यों से भी अवगत कराता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका इसकी आत्मा है और हर नागरिक को इसे आत्मसात कर राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना चाहिए।

विशेषज्ञ वक्ता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के निदेशक डॉ. पंकज ने संविधान में अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहने के लिए प्रेरित किया। आयोजन में डॉ. धर्मपाल पूनिया, डॉ.

प्रदीप, डॉ. अंजू, डॉ. समीक्षा गोदारा व राकेश मीणा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कुलपति की पत्नी प्रो. सुनीता श्रीवास्तव, कुल सचिव प्रो. सारिका शर्मा व छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. दिनेश गुप्ता भी उपस्थित रहे।

विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की ओर से ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर केंद्रित इस वेबिनार को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय



हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में संविधान की उद्देशिका का पाठ करते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार व अन्य। संवाद

विद्यार्थियों व शोधार्थियों को अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों से अवगत कराने के लिए कटिबद्ध है।

विशेषज्ञ वक्ता के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रो. अब्दुल रहीम पी. विजापुर व पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल बलदेव सिंह ने संबोधित किया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. अंतर्देश कुमार, डॉ. रेनु, डॉ. शाहजहां, सन्नी तंवर व डॉ. मुलाका मारुति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महाविद्यालय में मनाया संविधान दिवस

कनीना/सतनाली। राजकीय महाविद्यालयों में संविधान दिवस मनाया गया। कनीना में कार्यकारी प्राचार्य डॉ. सुधीर लांबा ने विद्यार्थियों को बताया कि भावी पीढ़ी में सांविधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मनीषा, नीलम, अमित सांगवान, अमित मलिक आदि सहित स्टाफ सदस्य व विद्यार्थी उपस्थित रहे। संवाद

ऑनलाइन कार्यक्रम • राष्ट्रपति संग विश्वविद्यालय समुदाय ने किया संविधान की उद्देशिका का पाठ

संविधान की आत्मा है इसकी उद्देशिका : प्रो. टंकेश्वर कुमार

भास्कर न्यूज़ | महेंद्रगढ़

हर्केवि, महेंद्रगढ़ में 72वें संविधान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने संविधान का महत्त्व बताते हुए इसकी उद्देशिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने संबोधन में संविधान की उद्देशिका को इसकी आत्मा बताया और विद्यार्थियों सहित सभी सहभागियों को संविधान में प्रदान किए गए अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।

इसके लिए विशेष रूप से विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों में संविधान की उद्देशिका के साथ-साथ कर्तव्यों को प्रचारित प्रसारित करने का भी निर्णय लिया गया है।



संविधान की उद्देशिका का पाठ करते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार व अन्य।

कार्यक्रम की शुरुआत अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुई। प्रोफेसर मूलचंद ने सभागार में संसद भवन से प्रसारित कार्यक्रम कुलपति सहित विश्वविद्यालय समुदाय ने देखा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ संविधान की उद्देशिका का पाठ किया।

अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए कुलपति टंकेश्वर कुमार ने कहा कि भारतीय संविधान बेहद परिश्रम

व दूरगामी सोच के साथ तैयार किया गया है। यह भारतीय नागरिकों को जहाँ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं राष्ट्र व समाज के प्रति उनके कर्तव्यों से भी अवगत कराता है। विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में संसद भवन से प्रसारित कार्यक्रम के समापन के पश्चात संविधानवाद और मौलिक कर्तव्य

पर केंद्रित वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञ वक्ता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के निदेशक डॉ. फंकज ने संविधान में अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता व इसके विकास के लिए जरूरी है कि हर नागरिक अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करे। कार्यक्रम के आयोजन में डॉ. धर्मपाल पूनिया, डॉ. प्रदीप, डॉ. अंजु, डॉ. समीक्षा गोदारा व राकेश मोणा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस अवसर पर कुलपति की पत्नी प्रो. सुनीता श्रीवास्तव, कुलसचिव प्रो. सारिका शर्मा व छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. दिनेश गुप्ता भी उपस्थित रहे।

इसी क्रम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की

ओर से ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर केंद्रित इस वेबिनार को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि अपने कर्तव्यों को जानने के साथ ही उनका निर्वहन भी करना चाहिए। विशेषज्ञ वक्ता के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रो. अब्दुल रहीम पी. विजापुर व पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल बलदेव सिंह ने संबोधित किया और मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. अंतर्देश कुमार, डॉ. रेनु, डॉ. शाहजहां, सत्री तंवर व डॉ. मुलाका मारुति ने अहम भूमिका अदा की।

राष्ट्र के निर्माण को आमजन अपने कर्तव्यों के प्रति रहें सचेत : कुलपति

बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर किए गए पुष्प अर्पित

संवाद सहयोगी महेंद्रगढ़ : हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में 72वें संविधान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को आनलाइन व आफलाइन माध्यम से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने संविधान का महत्व बताते हुए इसकी उद्देशिका पर प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय में विभिन्न ध्वनों में संविधान की उद्देशिका के साथ-साथ कर्तव्यों को प्रचारित प्रसारित करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए आम नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए।

विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुई। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मूलचंद सभागार में संसद भवन से प्रसारित कार्यक्रम कुलपति सहित विश्वविद्यालय समुदाय ने देखा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ संविधान की उद्देशिका का पाठ किया।

कुलपति टंकेश्वर कुमार ने कहा कि भारतीय संविधान बेहद परिश्रम व दूरगामी सोच के साथ तैयार किया गया है। वह भारतीय नागरिकों को जहाँ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं राष्ट्र व समाज के प्रति



संविधान की उद्देशिका का पाठ करते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार व अन्य • साभार हकेविति

उनके कर्तव्यों से भी अवगत कराता है। कुलपति ने कहा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका इसकी आत्मा है और हर नागरिक को इसे आत्मसात कर राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना चाहिए।

विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में संसद भवन से प्रसारित कार्यक्रम के समापन के पश्चात संविधानवाद और मौलिक कर्तव्य पर केंद्रित वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञ वक्ता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेंटर फार रिसर्च एंड प्लानिंग के निदेशक डा. पंकज ने संविधान में अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहने के लिए प्रेरित किया। डा.

धर्मपाल पूनिया, डा. प्रदीप, डा. अंजु, डा. समीक्षा गोदारा व राकेश मीणा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय कुलपति की पत्नी प्रो. सुनीता श्रीवास्तव, कुलसचिव प्रो. सारिका शर्मा व छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. दिनेश गुप्ता भी उपस्थित रहे। विशेषज्ञ वक्ता के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रो. अब्दुलरहीम पी. विजापुर व पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल बलदेव सिंह ने संबोधित किया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डा. अंतर्देश कुमार, डा. रेनु, डा. शाहजहां, सन्नी तंवर व डा. मुलाका मारुति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

Public Relations Office

Newspaper: Haribhoomi

Date: 27-11-2021



महेंद्रगढ़। संविधान की उद्देशिका का पाठ करते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार व अन्य।

फोटो: हरिभूमि

अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें: कुलपति

हरिभूमि न्यूज ▶▶ महेंद्रगढ़

■ हर्केविवि में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का किया आयोजन

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 72वें संविधान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मौके पर विवि के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने संविधान का महत्त्व बताते इसकी उद्देशिका पर प्रकाश डाला। संबोधन में संविधान की उद्देशिका को इसकी आत्मा बताया और विद्यार्थियों सहित सभी सहभागियों को संविधान में प्रदान किए अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। विवि में कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुई। इसके पश्चात विवि के प्रो.

मूलचंद सभागार में संसद भवन से प्रसारित कार्यक्रम कुलपति सहित विवि समुदाय ने देखा और माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ संविधान की उद्देशिका का पाठ किया। विवि के कुलपति टंकेश्वर कुमार ने कहा कि भारतीय संविधान बेहद परिश्रम व दूरगामी सोच के साथ तैयार किया है। यह भारतीय नागरिकों को जहां मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं राष्ट्र व समाज के प्रति उनके कर्तव्यों से भी अवगत कराता है। वीसी ने कहा कि संसद भवन से प्रसारित कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व पीएम मोदी का संबोधन हम सभी के लिए अनुसरणीय है।

संविधान की आत्मा है इसकी उद्देशिका: प्रो. टंकेश्वर राष्ट्रपति संग विश्वविद्यालय समुदाय ने किया संविधान की उद्देशिका का पाठ

महेंद्रगढ़, 26 नवम्बर (परमजीत, स.ह.): हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में 72वें संविधान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने संविधान का महत्व बताते हुए इसकी उद्देशिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने संबोधन में संविधान की उद्देशिका को इसकी आत्मा बताया और विद्यार्थियों सहित सभी सहभागियों को संविधान में प्रदान किए गए अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए विशेष रूप से विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों में संविधान की उद्देशिका के साथ-साथ कर्तव्यों को प्रचारित-प्रसारित करने का भी निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण हेतु आम नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब अंबेदकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुई। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर मूलचंद सभागर में संसद भवन से प्रसारित कार्यक्रम कुलपति सहित विश्वविद्यालय समुदाय ने देखा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ संविधान की उद्देशिका का पाठ किया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत



संविधान की उद्देशिका का पाठ करते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार व अन्य।

बिना कर्तव्यों के अधिकारों का महत्व नहीं

कुलपति ने इस अवसर पर कहा कि संसद भवन से प्रसारित कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हम सभी के लिए अनुसरणीय है और प्रेरणा का स्रोत है। विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) इकाई के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में संसद भवन से प्रसारित कार्यक्रम के समापन के पश्चात संविधानवाद और मौलिक कर्तव्य पर केंद्रित वैबिनार का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञ वक्ता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के निदेशक डा. पंकज ने संविधान में अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता व इसके विकास के लिए जरूरी है कि हर नागरिक अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करे। बिना कर्तव्यों के अधिकारों का महत्व नहीं है। समाज व देश की बेहتری के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। कार्यक्रम के आयोजन में डा. धर्मपाल पुनिया, डा. प्रदीप, डा. अंजु, डा. समीक्षा गोदारा व राकेश मीणा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय कुलपति की पत्नी प्रो. सुनीता श्रीवास्तव, कुलसचिव प्रो. सारिका शर्मा व छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. दिनेश गुप्ता भी उपस्थित रहे।

करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति टंकेश्वर कुमार ने कहा कि भारतीय संविधान बहद परिश्रम व दूरगामी सोच

के साथ तैयार किया गया है। यह भारतीय नागरिकों को जहां मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहां राष्ट्र व

विश्वविद्यालय विद्यार्थियों व शोधार्थियों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों से अवगत कराने के लिए कटिबद्ध

इसी क्रम में विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की ओर से ऑनलाइन वैबिनार का आयोजन किया गया। इस वैबिनार को संबोधित करते हुए प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों व शोधार्थियों को अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों से अवगत कराने के लिए कटिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर विद्यार्थियों अपने कर्तव्यों को न सिर्फ जाने बल्कि उनका निर्वहन भी करे। इस अवसर पर विशेषज्ञ वक्ता के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रो. अब्दुलरहमान पी. विजापुर व पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल बलदेव सिंह ने संबोधित किया और मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डा. अंतरेश कुमार, डा. रेनु, डा. शाहजहां, सन्नी तंवर व डा. मुलाका मारूति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

समाज के प्रति उनके कर्तव्यों से भी अवगत कराता है। कुलपति ने कहा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका

इसकी आत्मा है और हर नागरिक को इसे आत्मसात कर राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना चाहिए।